वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 27.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 27.12.2025

अवैध निर्माण कराने पर एक होटल समेत 4 भवन कराए सील

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने शुक्रवार को भेलूपुर, नगवां के विनायका, कमच्छा, बैजनत्था, बिरदोपुर, बृज इंक्लेव कॉलोनी का निरीक्षण किया। अवैध निर्माण कराने पर एक होटल और तीन भवन को सील कराया। निरीक्षण में अनिल आहूजा ने बैजनत्था, बिरदोपुर में दो तल का आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराया। इसके विपरीत निर्माण कराने पर भवन को मौके पर सील किया। डॉ. राजकुमार सिंह की ओर से बृज इन्क्लेव कॉलोनी में तीन तलों का आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराया गया। इसके विपरीत होटल का निर्माण कराने पर भवन को सील किया गया। प्रिंस वर्मा ने बैजनत्था, कमच्छा में 800 वर्गफीट के क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराया था। जिसे बंद कराकर सील की कार्रवाई की गई। अजीत कुमार साह की ओर से बैजनत्था, कमच्छा की ओर से 600 वर्गफीट के क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए पिलर का निर्माण कराया गया। जिसे सील किया गया। ब्यूरो

आज–दि0 27.12.2025

चार भवन का निर्माण हुआ सीज

विप्रा उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर सचिव विप्रा डाक्टर प्रकाश मिश्र ने शुक्रवार को चार जोनों में अवैध निर्माण के खिलाफ काररवाई की। भेलूपुर वार्ड के बैजनत्था में भवन स्वामी अनिल आहूजा दो तल का मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद तीसरे तल का निर्माण कर रहे थे। इसी प्रकार डाक्टर राजकुमार सिंह तीन तले के मकान बनाने के लिए मानचित्र स्वीकृत कराया था, लेकिन ये संबंधित स्थान पर होटल का निर्माण कराये थे। वही पर भवनस्वामी प्रिंस वर्मा बिना मानचित्र के भवन का निर्माण करा रहे थे। इसके अलावा भवन स्वामि अमित कुमार साह भी बैजनत्था स्थित कमच्छा में छह सौ वर्ग फिट में बिना मानचित्र सूचित करे भवन का निर्माण करवा रहे थे। मौके पर पहुंचे सचिव के अलावा जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अभियंता सोनू कुमार क्षेत्रीय सुपरवाइजर स्थानीय थाने की पुलिस की देखरेख में सभी चारों भवनों को सील कर दिया गया।

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 27.12.2025

आवासीय नक्शे पर बनवा रहे थे होटल

वाराणसी। वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने भेलूपुर, नगवां, विनायका, कमच्छा, बिरदोपुर और बृजएन्क्लेव कॉलोनी में निरीक्षण किया। बृजएनक्लेव कॉलोनी में गाजीपुर के शासकीय डॉक्टर राजकुमार सिंह आवासीय नक्शे पर होटल का निर्माण करा रहे थे। इस पर भवन सील किया गया।

इसके साथ ही भेलूपुर वार्ड के बैजनत्था (बिरदोपुर) में बिना मानचित्र पास कराए तीसरे तल के निर्माण पर अनिल आहूजा का भवन सील किया गया। बैजनत्था में प्रिन्स वर्मा मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण करा रहे थे। मकान सील कर दिया गया है।

न्यायाधीश–दि0 27.12.2025

वाविप्रा सचिव डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-4 के अर्न्तगत क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया

वाराणसी । उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में - 26.12.2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी के सचिव डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-4 के अर्न्तगत वार्ड-भेलूपुर व नगवां के विनायका, कमच्छा-बैजनत्था रोड, बिरदोपुर व बृजइन्क्लेव कालोनी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। सील बंद कराये गये निर्माणी का विवरण निमन्वत हैः- अनिल आहूजा पुत्र स्व0 राम प्रकाश आहूजा द्वारा बैजनत्था, बिरदोपुर वार्ड-भेलूपुर, वाराणसी में बी+जी+2 तलों का आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। पक्ष द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बी+जी+3 तलों का निर्माण कार्य करने पर प्रशन्गत भवन को मौके पर सील कराया गया। प्रिन्स वर्मा द्वारा बैजनत्था, कमच्छा, वार्ड-भेलूपुर में लगभग 800 वर्गफीट के क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये जी+1 तल का निर्माण किया जा रहा था, जिसे मौके पर बन्द कराकर सील की कार्यवाही की गयी। अजीत कुमार साह द्वारा बैजनत्था, कमच्छा, वार्ड-भेलूपुर में लगभग 600 वर्गफीट के क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतल का छत ढ़ालते हुए प्रथम तल पर पीलर का निर्माण किया जा रहा था, जिसे मौके पर बन्द कराकर सील की कार्यवाही की गयी। डा0 राजकुमार सिंह (सरकारी डाक्टर-गाजीपुर) द्वारा बृजइन्क्लेव कालोनी, वार्ड-नगवां, वाराणसी में स्टील्ट+3 तलों का आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। पक्ष द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बी+जी+3 तलों का होटल का निर्माण कार्य करने पर प्रशन्गत भवन को मौके पर सील कराया गया। सचिव द्वारा जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी संबंधित प्रकरणों में निर्माणकर्ता अनिवार्य रूप से मानचित्र जमा कराएं तथा बिना स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। मौके मौजूद जोनल अधिकारी संजीव कुमार व अवर अभियंता सोनू कुमार फिल्ड स्टाफ मौजूद थे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।